



पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/50059

दिनांक : 5 मार्च, 2019

चंदन कुमार,

400/220 के.वी. जीआईएस उपकेंद्र किशनगंज,  
ग्राम - बरमसिया पोस्ट- बगलबाड़ी,  
जिला- किशनगंज, Pin 855107,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया अपने पत्र दिनांक 30.1.2019 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी।

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी अनुबंध क पर संलग्न है।


आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के प्रावाधान के अनुसार अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार :

श्री संजीव सिंह

कार्यपालक निदेशक (के.आ., ला. अभि. एवं सीसीसी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय  
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
'सौदामिनी', 'प्लॉट नं. 2, सैक्टर, 29-गुडगांव, 122001-हरियाणा

धन्यवाद।

भवदीय,

  
(जसबीर सिंह) 5/3/19

वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं (आ.के) के.लो.सू.अधिकारी

## अनुबंध क

- 1 पावरग्रिड के वित्त विभाग अंतर्गत कर्मचारियों के यात्रा दावा, चिकित्सा दावा आदि के भुगतान के दौरान दावे की राशि में कटौती करने या कटौती का प्रस्ताव करने या कटौती की सलाह देने के लिए न्यूनतम पद और योग्यता क्या है ?

उत्तर : पावरग्रिड के वित्त विभाग अंतर्गत कर्मचारियों के यात्रा दावा, चिकित्सा दावा आदि के भुगतान के दौरान दावे की राशि में कटौती करने या कटौती का प्रस्ताव करने या कटौती की सलाह देने के लिए न्यूनतम पद और योग्यता खाता अधिकारी है (Assistant Account Officer)

- 2 उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में नियमों, शक्तियों की एक प्रति उपलब्ध करवाएं ।

उत्तर : प्रति अनुबंध "ख" पर संलग्न है।

- 3 सैप अथवा एस ए पी आधारित ई एस एस या एम्लायी सेल्फ सर्विस प्रणाली में कटौती करने, कटौती प्रस्तावित करने या कटौती की सलाह देने की शक्ति या अधिकार क्या उपरोक्त नियमानुसार ही हैं या उससे अलग ।
- 4 क्या उपरोक्त प्रश्न संख्या 3 के उत्तर देने के क्रम में सैप अथवा एस ए पी आधारित ई एस एस या एम्लायी सेल्फ सर्विस प्रणाली की जांच की गई है ।

उत्तर : उत्तर (१) के अनुसार है। लेकिन कटौती योग्य अधिकारी द्वारा मैन्युअली(manually)किया जाता है।



अनुबंध - ख

4. Payments - Passing Bills, on account payments, Journal Voucher

S.No.	Nature	CC	Regions	Site Office
4(a).	Personal claims of employees such as salary, TA, LTC, Conveyance etc. Bills, as per Rules and regulations.	AAO	AAO	AAO
4(b)	Supply & Works contracts including JV (Gross amount of bill)			
(i)	Upto Rs.5 lacs	AAO	AAO	AAO
(ii)	Rs.5 lacs to upto Rs.20 lacs	SAO	SAO	SAO
(iii)	Above Rs.20 lacs to Rs.50 lacs	DM(F)	DM(F)	DM(F)
(iv)	Above Rs.50 lacs to Rs.100 lacs	M(F)	M(F)	M(F)
(v)	Above Rs.100 lacs	CM(F)	CM(F)	CM(F)
(vi)	Demurrage	CM(F)	HOD(F)	Nil
(vii)	Insurance	CM(F)	HOD(F)	SAO

Notes: 1. Payments to be made strictly in terms of LOA/Purchase Order/Work Order.

2. Payments affected by deviations/clarifications interpretations to be approved by next higher authority.

  
2/2/2017